



राजस्व प्रकरण क्र०

/निगरानी/ 2016

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल गवालियर म.प्र.

R 4338-PB/216

रेखा पिता माधवराव अधिकार, पति—जयंत सोनी

निवासी— चौबे मोहल्ला, बडवानी

आवेदिका / निगरानीकर्ता

जिला बडवानी

विरुद्ध

कार्यालय आनुष्ठान इन्डिया रंगभाग इंडिया
श्री २८७४-३८५५
प्रधारी/अधिभाषक द्वारा दिनांक २९.१०.२०१६
को प्रस्तुत।

832
०१-१२-२०१६

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

.....अनावेदकगण

- 1— प्रमोद पिता माधवराव अधिकार
 - 2— अशोक पिता माधवराव अधिकार
 - 3— किरण पिता माधवराव अधिकार
- उक्त समस्त निवासी— विट्ठल पथ मंदिर, खरगोन

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू—राजस्व संहिता

आवेदिका, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व, गोगांवा
जिला खरगोन द्वारा नायब तहसीलदार गोगांवा जिला खरगोन
म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 68/अ/15-16 में दर्ज हुआ, में
आवेदन—पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में
पारित आदेश दिनांक 29.10.2016 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर
अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत
करती है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका एवं अनावेदक
क्रमांक 1 से लगायत 3 के हक्क मालकी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम—
कन्नडपुरा प.ह.नं. 29 तहसील गोगांवा, जिला—खरगोन म.प्र. में स्थित खसरा
नंबर 47/2/1, 47/1/2 कुल रकमा 1.618 हेक्टर लगान रु. 4.25 पैसे की

Noteed
18/10/117
Rathore
20/10/2016
(20025 13 रु.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

154

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक R-4338-BR/16.

रेखा

विरुद्ध छोड़

तहसील

जिला: रंगरोन

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुचिभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय.

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2017	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. के विरुद्ध श्री के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/. रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार आवेदक जिला को तीन बार पुकारलगवाई गई, परन्तु उनकी ओर से कोई उपायित नहीं हुआ। उक्त आवेदक पक्ष की अनुपायिति में अदम शेरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>अदृपक्ष</p>	18.1.17 २३
79		पीछे दखिये